

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/आर-157/2025-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० प्रियंका कुमारी, ट्यूटर, फार्माकॉलोजी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दिनांक 05.08.2020 से 21.07.2022 तक की अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

(क)	दिनांक 05.08.2020 से 26.05.2022 तक (कुल-660 दिन)	- अध्ययन हेतु बितायी गयी अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अवधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक 30.11.2011 के आलोक में)
(ख)	दिनांक 27.05.2022 से 21.07.2022 तक (कुल-56 दिन)	
i	दिनांक 27.05.2022 से 27.06.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
ii	दिनांक 28.06.2022 को	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
iii	दिनांक 29.06.2022 को	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
iv	दिनांक 30.06.2022 से 21.07.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

2. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-157/2025- 1808(2)

पटना, दिनांक 30/07 / 2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० प्रियंका कुमारी, ट्यूटर, फार्माकॉलोजी विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30/7/2026
सरकार के अवर सचिव